



UPBJ010038542023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor**पीठासीन अधिकारी- (Sri Avdhesh Kumar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074****सेशन्स केस संख्या 705/2023****सरकार****बनाम****मौसम आदि**

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **मौसम, रिफाकत, जहीर व तोहीद** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ—

1— यह कि दिनांक 08.02.2023 को समय 18:30 बजे वहद ग्राम हामा नगली चौकी सहसपुर थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर में आपने अपराध कारित करने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव कर बल्वा किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2— यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने घातक हथियारो लाठी-डंडा से सुसज्जित होकर वादी के भाई के साथ बल्वा किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3— यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में घातक हथियारो लाठी-डंडा से वादी चन्द्रपाल के भाई महावीर को मारपीट कर प्राण-घातक चोटे पहुँचाकर आपराधिक मानव वध का प्रयास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 308/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा चन्द्रपाल के भाई महावीर को लाठी-डंडो से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा चन्द्रपाल के भाई महावीर को धारदार खतरनाक हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 324/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के

अग्रसरण में वादी मुकदमा चन्द्रपाल के भाई महावीर को लाठी-डंडो से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 325/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा चन्द्रपाल के भाई महावीर को लाठी-डंडो से मारपीट कर ऐसी चोटे पहुँचायी जिससे उसका वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो गया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 336 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

8— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा चन्द्रपाल के भाई महावीर को लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गन्दी-गन्दी गालियाँ देते हुए अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

9— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा चन्द्रपाल के भाई महावीर को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

10— यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आपने वादी मुकदमा चन्द्रपाल के भाई महावीर को जाति सूचक गन्दी-2 गालियाँ यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा लाठी-डंडा व धारदार हथियार से मारकर चोटे पहुँचायी जिससे महावीर सिंह का आपराधिक मानव वध करने का प्रयास किया। उक्त अपराध दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास या आजीवन कारावास के दण्ड एवं जुर्माने से दण्डनीय है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3 (2) 5 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक 01-05-2023

(अवधेश कुमार)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)

बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक 01-05-2023

(अवधेश कुमार)

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)

बिजनौर।

UPBJ010038542023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी- (Sri Avdhesh Kumar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074

सेशनस केस संख्या 705/2023

सरकार

बनाम

मौसम आदि

01-05-2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण **मौसम, रिफाकत, जहीर व तोहीद** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण **मौसम, रिफाकत, जहीर व तोहीद** के विरुद्ध धारा 147, 148, 308/34, 323/34, 324/34, 325/34, 336, 504, 506 भा0दं0सं0 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनांक 01-05-2023

(अवधेश कुमार)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण **मौसम, रिफाकत, जहीर व तोहीद** के विरुद्ध धारा 147, 148, 308/34, 323/34, 324/34, 325/34, 336, 504, 506 भा0दं0सं0 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक -05-2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनांक 01-05-2023

(अवधेश कुमार)

विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।